समक्ष : गोकल चंद मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति

सुर्जित कौर-अपीलार्थी,

बनाम

माल्कियत सिंह,-प्रतिवादी

1980 की नियमित दूसरी अपील *सं.* 2559

20 नवंबर, 1990

परिसीमन अधिनियम (1963 का XXXVI)-अनुच्छेद 58 *&* 59– धोखाधड़ी-मुकदमा दाखिल करने की परिसीमा *-धोखाधड़ी* द्वारा *प्राप्त आदेश को दरकिनार या रद्द करने की आवश्यकता नहीं है-इसे उस व्यक्ति पर बाध्यकारी नहीं घोषित किया जा सकता है जिसके साथ धोखाधड़ी की गई* है-अनुच्छेद *59* लागू *नहीं होता है।*

अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार जब धोखाधड़ी के साथ न्यायालय से डिक्री प्राप्त की जाती है तो परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 में परिकल्पित सिद्धांत लागू नहीं होता। धोखाधड़ी से प्राप्त डिक्री को खारिज या रद्द नहीं किया जाएगा। यह घोषित किया जा सकता है कि यह उस मालिक पर बाध्यकारी नहीं है जिसके साथ धोखाधड़ी की गई थी और ऐसा मुकदमा परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आएगा।

(पैरा 15)

श्री टी. पी. गर्ग, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिरसा की अदालत के 17 सितंबर, 1980 के फैसले से नियमित दूसरी अपील, में श्री जे. के सूद, एच सी एस, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, सिरसा के 13 नवंबर 1978, आदेश द्वारा वादी के मुकदमे को खारिज करने को सही ठहराया गया और पार्टियों को अपनी खर्चा ख़ुद वहन करने का आदेश दिया।

दावा:- यह घोषणा की जाये कि के लिए कि, दिनांक 28 अप्रैल, 1972 को श्री वी. पी. चौधरी, उप न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, सिरसा द्वारा 1972 के केस नंबर 2529 में जी डिक्री और निर्णय पारित किया गया था, जिसका शीर्षक मल्कियत सिंह, पुत्र अर्जन सिंह, निवासी फरीदकोट बनाम जरनैल सिंह, पुत्र इंदर सिंह, गांव मोहम्मदपुर, सलारपुर, तहसील सिरसा, वर्ग संख्या 5, किला संख्या 2, 6, 7, 14, 15, 16, 17 में शामिल 90 कनाल 4 मरले भूमि के संबंध में , 18, 19, 20, 21; 22, गांव मोहम्मदपुर, सलारपुर, तहसील सिरसा, जिला हिसार स्थित है वो निष्क्रिय है और वादी के अधिकारों पर प्रभावी व बाध्यकारी नहीं है क्योंकि यह डिक्री धोखाधड़ी पर आधारित है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए और उत्परिवर्तन को मंजूरी दी जानी चाहिए इस डिक्री का आधार वादी पर बाध्यकारी नहीं है और इसे रद्द किया जा सकता है और साक्ष्य का आधार पर प्रतिवादी को किसी भी तरीके से मुकदमे की भूमि को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा दी जाये।

अपील में दावा:–निम्नलिखित दोनों न्यायालयों के आदेश को पलटने के लिए।

वादी की तरफ़ से : आर एस मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता , आर अल शर्मा, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की तरफ़ से: अरुण नेहरा, अधिवक्ता

निर्णय

गोकुल चंद, माननीय न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) यह आदेश 1980 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 2559 और 1981 की आर एस ए संख्या 195 का निराकृत करेगा, क्योंकि इसके बाद प्रस्तुत तथ्यों से पता चला कि इन अपीलों पर एक साथ निर्णय लेना आवश्यक है।

(2) 25 अप्रैल, 1972 को दो मुकदमे दायर किए गए, एक मल्कियत सिंह द्वारा जमेल सिंह के खिलाफ और दूसरा उपरोक्त मल्कियत

सिंह के भाई हरजीत सिंह द्वारा उपरोक्त जैमेल सिंह की पत्नी, श्रीमती सुरजीत कौर के खिलाफ दोनों मुकदमे इस घोषणा के लिए थे कि प्रतिवादियों के साथ किए गए विनिमय के आधार पर, वे उस भूमि के मालिक हैं, जो विनिमय से पहले प्रतिवादियों के स्वामित्व में थी।

(3) तीन दिन बाद 28 अप्रैल, 1972 को, प्रतिवादियों की ओर से लिखित बयान एक वकील के माध्यम से दायर किए गए, जिन्होंने कथित तौर पर प्रतिवादियों की तरफ़ से पावर ऑफ अटॉर्नी दायर की थी। सुरजीत कौर द्वारा दायर लिखित बयान पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गये थे, जबकि जरनैल सिंह प्रतिवादी के कथित तौर पर अंगूठे का निशान था, जिसमें दोनों मुकदमों में वादी के दावों को स्वीकार किया गया था।

(4) निचली अदालत ने उसी दिन वादी के दावों को स्वीकार करते हुए लिखित बयानों के आधार पर मुकदमे का फैसला सुनाया।

(5) 6 अगस्त, 1975 को जरनैल सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती सुरजीत कौर ने धोखाधड़ी का पता चलने पर क्रमशः मल्कियत सिंह और हरजीत सिंह द्वारा प्राप्त डिक्री को चुनौती देने के लिए दो अलग-अलग मुकदमे दायर किए, मुक़दमे इस आधार पर दायर किए गए कि उन्होंने कभी किसी वकील से संपर्क नहीं किया, न तो किसी लिखित बयान पर हस्ताक्षर किए और न ही अंगूठा लगाया और पार्टियों के बीच कथित आदान-प्रदान को भी नकारा और इस प्रकार घोषणा की डिक्री की मांग की गई कि वे उन डिक्री से बाध्य नहीं थे जो अदालत में धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई थी और इस प्रकार क़ब्ज़ान मलिक बने रहे।

(6) मुकदमों का दोनों प्रतिवादियों ने विरोध किया और एक लंबी बहस के बाद निचली कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि बाद के मुकदमों

में वादी के रूप में डिक्री प्राप्त करने में मल्कियत सिंह और हरजीत सिंह द्वारा अदालत में धोखाधड़ी की गई थी (जो पहले के मुकदमों में प्रतिवादी थे) तलब नहीं किया गया था; उन्होंने किसी वकील को भी नियुक्त नहीं किया था; उन्होंने किसी भी लिखित बयान पर न तो हस्ताक्षर किए और न ही अंगूठे का निशान लगाया और मामलों में कोई आदान-प्रदान साबित नहीं हुआ। श्रीमती सुरजीत कौर द्वारा दायर मुकदमा में को डिक्री दे दी गई, लेकिन उसके पति जरनैल सिंह द्वारा दायर मुकदमे को अदालत में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बावजूद इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि जरनैल सिंह ने अपने आने के तीन साल से कुछ दिन पहले मुकदमा दायर किया था। सहमति डिक्री के बारे में पता था और इस प्रकार यह परिसीमन के आधार पर वर्जित था।

(7) निचली अदालत के निर्णयों और डिक्री को निचली अपीलीय अदालत ने बरकरार रखा। जरनैल सिंह के मामले में आर.एस.ए. क्रमांक 2559/1980 वादी जरनैल सिंह के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर किया गया है, जिनकी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी और आर.एस.ए. 1981 का 195 हरजीत सिंह द्वारा सुरजीत कौर के मुकदमे का फैसला विरुद्ध दायर की गई और जिसकी अपील अपीलीय अदालत के समक्ष असफल रही।

(8) मामले के रिकॉर्ड को देखने और मामले पर विचार करने के बाद, मेरा मानना है कि निचली अदालतों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि मल्कियत सिंह और हरजीत सिंह ने अदालत में धोखाधड़ी करके 28 अप्रैल, 1972 की डिक्री हासिल की थी वह दूसरी अपील द्वारा इस न्यायालय के हस्तक्षेप के क्षेत्राधिकार के लिए सही नहीं है। अन्यथा भी निष्कर्ष अच्छी तरह से तथ्यों पर आधारित हैं।

(9) मल्कियत सिंह वादी द्वारा पेश लिए गये सबूतों को चुनौती देने या जिरह की कसौटी पर खरा उतरने के लिए कटघरे में भी नहीं आये।

(10) निचली दोनों अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और मामले के हर पहलू पर विचार किया और उसके मूल्यांकन पर यह निष्कर्ष दिया कि दोनों डिक्री पिछले मुकदमों में वादी द्वारा अदालत में धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई थीं। निचली अदालतों ने यह भी पाया कि भूमि मूल मालिकों के संबंधित कब्जे में रही और मल्कियत सिंह और हरजीत सिंह की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया और उन्होंने उसका मुआवजा अपने खाते में ले लिया। यदि पार्टियों की सहमति से विनिमय हो गया होता या डिक्री प्राप्त कर ली गई होती, तो पार्टियों ने अपने कब्जे का आदान-प्रदान कर लिया होता और आदान-प्रदान किया होता और कब्ज़ा नामांतरण कार्यवाही के साथ-साथ राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया होगा। एक तरह से मलकीयत सिंह और हरजीत सिंह ने जरनैल सिंह और उनकी पत्नी सुरजीत कौर के साथ पूरी तरह से धोखाधड़ी करने की कोशिश की, उनके स्वामित्व वाली जमीन को हासिल कर लिया और अपनी जमीन के क़ब्ज़े को बरकरार रखा और उसके अधिग्रहण पर मुआवजा लेने की कोशिश की। तदनुसार, मैं मल्कियत सिंह और हरजीत सिंह द्वारा धोखाधड़ी से डिक्री प्राप्त करने और जरनैल सिंह और श्रीमती सुरजीत कौर के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालने के संबंध में नीचे दिए गए दो न्यायालयों के निष्कर्षों को बरकरार रखता हूं।

(11) जहां तक 1981 के आरएसए नंबर 195 का संबंध है, इसमे विचार के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है और अपील को पूरे खर्चे के साथ खारिज कर दिया जाता है।

(12) 1980 के आरएसए नंबर 2559 पर दोबारा देखने से पीटीए चलता है कि विचार के लिए एकमात्र शेष बिंदु यह है कि क्या जरनैल सिंह द्वारा दायर मुकदमा परिसीमन के दायरे से बाहर है या नहीं। ट्रायल कोर्ट ने जाली लिखित बयान के आधार पर डिक्री प्राप्त करने में मल्कियत सिंह द्वारा जरनैल सिंह पर की गई धोखाधड़ी के ज्ञान को ठीक करने के लिए एक उत्परिवर्तन का उल्लेख किया है। तथाकथित उत्परिवर्तन औपचारिक रूप से

प्रदर्शित या सिद्ध किए बिना फ़ाइल के रिकॉर्ड पर था। जरनैल सिंह द्वारा दायर मुकदमे में उन्होंने उल्लेख किया था कि न तो 28 अप्रैल, 1972 की कथित डिक्री और न ही उस डिक्री के आधार पर मल्कियत सिंह द्वारा स्वीकृत उत्परिवर्तन उन पर बाध्यकारी था। इससे, निचली अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि जरनैल सिंह को उत्परिवर्तन के बारे में पता था और वह दस्तावेज़ प्रदर्शित करने के लिए कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया का पालन किए बिना दस्तावेज़ प्रदर्शित किया गया।

(13) सबसे पहले, निचली अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया गलत थी और यदि इस उत्परिवर्तन को विचार से खारिज कर दिया जाता है तो मुकदमा दायर करने के तीन साल से अधिक समय तक जरनैल सिंह के ज्ञान को ठीक साबित करने के बारे में रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है।

(14) भले ही नामांतरण , जिसे डीक्यू के रूप में प्रदर्शित किया गया था, को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन यह उस दिन जरनैल सिंह के ज्ञान को सही साबित करने करने का कारण नहीं देता है जिस दिन नामांतरण को मंजूरी दी गई थी। नामांतरण स्वीकृत करने की तिथि के बारे में जरनैल सिंह की जानकारी तय करने में तथ्य यह बताया गया है कि दाखिल खारिज में जरनैल सिंह के उपस्थित होने का उल्लेख है। एक बार जब मल्कियत सिंह वकालतनामा और लिखित बयान पर जरनैल सिंह के जाली हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी कर सकता था, तो नामांतरण कार्यवाही में जरनैल सिंह की उपस्थिति दर्ज कराना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस संबंध में अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब जरनैल सिंह गवाह के सामने पेश हुए तो उनसे यह सवाल नहीं पूछा गया कि वह नामांतरण की मंजूरी के समय उपस्थित थे? मल्कियत सिंह की ओर से इस बात की कोई दलील नहीं दी गई कि नामांतरण की मंजूरी के समय जमैल सिंह मौजूद थे और न ही इस संबंध में कोई सबूत पेश किया गया था। यह भी नहीं दिखाया गया कि जरनैल सिंह को मुकदमा दायर होने के तीन साल पहले किसी भी दिन 28 अप्रैल, 1972 की कथित डिक्री के

बारे में पता चला था। वादी ने दिखाया है कि उसका मुकदमा ज्ञान की तारीख से परिसीमन के भीतर था और कोई खंडन नहीं है।

(15) मामले पर दूसरे पहलू से विचार किया जा सकता है। एक बार जब डिक्री प्राप्त करने में न्यायालय पर धोखाधड़ी की जाती है तो परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 में परिकल्पित सिद्धांत लागू नहीं होगा। धोखाधड़ी से प्राप्त डिक्री को खारिज या रद्द नहीं किया जाएगा। मेरे विचार से, यह घोषित किया जा सकता है कि यह उस मालिक के लिए बाध्यकारी नहीं है जिसके साथ धोखाधड़ी की गई थी और ऐसा मुकदमा परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आएगा। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, कथित विनिमय और कपटपूर्ण डिक्री के बावजूद, जरनैल सिंह उस भूमि पर काबिज रहा, जो कथित विनिमय से पहले स्वामित्व में थी। जब भी उस संपत्ति से उसका कब्जा हटाने की मांग की गई, तो तीन साल की अवधि शुरू हो जाएगी और इस मामले में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुकदमा दायर करने से पहले मल्कियत सिंह ने कभी उसके कब्जे को परेशान करने की कोशिश की थी। इस बात के समर्थन में, इब्राहिम उर्फ धरुमवीर बनाम श्रीमती शरीफन उर्फ शांति (1) का संदर्भ दिया जा सकता है।

(16) तदनुसार, मेरा विचार है कि निचली अदालतों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचकर कानूनी गलती की है कि मुकदमा परिसीमन के दायरे से बाहर था। परिसीमा के बिंदु पर नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्ष को पलट दिया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मुकदमा परिसीमन के बाहर साबित नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप आरएसए नंबर 2589 1980 की स्वीकृत दी जाती है और वादी द्वारा दायर मुकदमे को यह घोषणा देते हुए डिक्री किया जाता है कि जरनैल सिंह के खिलाफ मल्कियत सिंह द्वारा प्राप्त 28 अप्रैल, 1971 की डिक्री जरनैल सिंह के अधिकारों और उनकी मृत्यु के बाद प्रभावित नहीं होगी। चूंकि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, और जरनैल सिंह और

उनके बाद उनके कानूनी प्रतिनिधि जमीन के मालिक बने हुए हैं और मल्कियत सिंह को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अपीलकर्ता को पूरी कार्यवाही का खर्च मल्कियत सिंह से लेने का आदेश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़